

५५

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उ०प्र० शासन।

राजस्व अनुभाग-१०

१९ अगस्त
लखनऊ : दिनांक: १९ जुलाई, २०१३

विषय: वित्तीय वर्ष २०१२-१३ के दैवी आपदा कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष २०१३-१४ में धनावंटन।

महोदय,

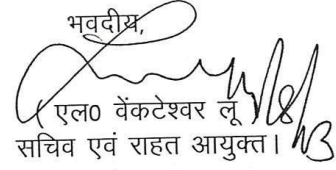
उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, पीएसी उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-पीएसी-तीन-८०२(१)-२०१२/१८८४, दिनांक १५.०७.२०१३ जो प्रमुख सचिव, गृह उ०प्र० शासन, लखनऊ को भी पृष्ठांकित है, जिसमें मोटर बोटों के दर में वृद्धि तथा स्पेशीफिकेशन में एल्युमिनियम मोटर बोट हेतु ४० हार्स पावर के स्थान पर ५० हार्स पावर ओ०बी०एम० इंजन निर्धारित किये जाने के कारण इस प्रयोजन हेतु आवंटित धनराशि पर्याप्त न होने की स्थिति में प्रस्तावित ४० रबराइज्ड मोटर बोट तथा ३१ एल्युमिनियम मोटर बोट क्रय हेतु रू० १,२७,५५,२००/- की धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकतानुसार स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एल्युमिनियम मोटर बोट एवं रबराइज्ड मोटर बोट क्रय हेतु शासनादेश संख्या-यू०ओ०-२६/१-१०-१३, दिनांक २७.०६.२०१३ में एल्युमिनियम मोटर बोट एवं रबराइज्ड मोटर बोट एवं मोटर बोट की मरम्मत/राहत एवं बचाव कार्य हेतु कुल धनराशि रू० ५,१०,००,०००/- की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अतः शासनादेश संख्या-यू०ओ०-२६/१-१०-१३, दिनांक २७.०६.२०१३ के अनुक्रम में कुल धनराशि रू० १,२७,५५,२००/-(रू० एक करोड़ सत्ताइस लाख पचपन हजार दो सौ मात्र) अतिरिक्त धनराशि वित्तीय वर्ष २०१३-१४ में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१३-१४ के आय-व्यय के अनुदान संख्या-५१ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "२२४५-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-०५-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-८००-अन्य व्यय-०३-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-४२-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
- शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से यदि कोई बचत सम्भावित हो तो उन्हें वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व नियमानुसार समर्पित कर दी जायें।
- आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जाये। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाये।

प्रमुख सचिव गृह विभाग उ०प्र० शासन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।

5. उक्त धनराशि से कय किये जाने वाले उपकरणों का रख-रखाव पुलिस के नियमित बजट से होगा, तथा उनको जिलाधिकारी/जिला आपदा अधिकारी (अपर जिलाधिकारी) एवं राहत आयुक्त संगठन (यू०पी०एस०डी०एम०ए०) के निर्देश पर आपदा प्रबन्धन हेतु सर्वदा तैयार/कार्यशील अवस्था में उपलब्ध कराया जायेगा।

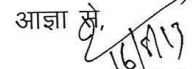
6. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित करारक शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

एल० वेंकटेश्वर लू
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : /1-10-13-14(23)/04 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद
- 2-अपर पुलिस अधीक्षक, कृते पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पीएसी मुख्यालय, लखनऊ
- 3-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4-वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 6-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7-वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
- 8-समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।